न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. श्री गोविन्द सिंह पुरोहित पुत्र श्री गणपत सिंह पुरोहित, जाति- पुरोहित
   निवासी-L&T-5, J.K.Puram, Laxmi Cement, J.K.Puram, जिला-सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं व्यवस्थापक)

फर्म:- जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम, जिला-सिरोही

2. श्रीमती नर्बदा देवी कुमावत पत्नि श्री तुलसीराम कुमावत,
   निवासी- 368, देवड़ूंगरी, गणेशनगर, गिर्वा, उदयपुर (राज.)
   भागीदार, फर्म:- Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर
3. श्रीमती सुमन शर्मा पत्नि श्री मोहनलाल शर्मा,
   निवासी- 161, श्याम विहार, कालका माता रोड, गिर्वा, उदयपुर (राज.)
   भागीदार, फर्म:- Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर
4. श्री ईश्वर कुमावत पुत्र श्री तुलसीराम कुमावत,
   निवासी- 368, देवड़ूंगरी, गणेशनगर, गिर्वा, उदयपुर
   भागीदार, फर्म:- Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर
5. Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर

प्रकरण संख्या: 32/2016

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री अशोक कुमावत, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 24 अक्टूम्बर, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.1.2015 को समय 3.00 पी.एम. पर पर फर्म जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम, तहसील-पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता के रुप में उंपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति गोविन्द सिंह पुरोहित पुत्र श्री गणपत सिंह पुरोहित, जाति- पुरोहित, निवासी- L&T-5, J.K.Puram, Laxmi Cement, J.K.Puam, Tehsil-Pindwara, Dist-Sirohi है एवं जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम पर खाद्य कारोबारकर्ता

.....पेज- दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

एवं व्यवस्थापक की हैसियत से मौजूद है तथा आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में आलमारी की रैक में ब्रिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के 50 पैकड पाउचेज (प्रत्येक पाउच 500 ग्राम) में से 500-500 ग्राम के 4 पैक्ड पाउच क्रय किये एवं उसकी कीमत रुपये 601/- (अक्षरे रुपये छः सौ एक मात्र) अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। चाय की सप्लाई के बारे जानकारी चाहने पर खाद्य कारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित ने सुदर्शन टी एन्टरप्राईजेज, 31-ए, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर का बिल प्रस्तुत किया। मूल फार्म 5ए, नमूना खरीद बिल, सप्लाई बिल की छाया प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-349 को नियमानुसार नीचे से उपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 30.1.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 30.1.2015 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

चाय (आनंद ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) का नमूना S-349 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जांच रिपोर्ट संलग्न है। प्रकरण के अनुसंधान कार्य में समय लगने के कारण प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने की सयावधि एक वर्ष की सीमा से अधिक हो जाने के कारण प्रकरण को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को भिजवाया। जिस पर जनहित में आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 77 के अनर्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण में 31.8.2016 तक समयावधि विस्तारित करते हुए प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। अत: यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) का निर्माण/पैकिंग, विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री फिरोज सिलावट एवं श्री अशोक कुमावत ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी तथा प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 24.10.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 24.10.2018 को प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री अशोक कुमावत की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री अशोक कुमावत ने प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम में खाद्य पदार्थ आनन्द ब्राण्ड का विक्रय करने का कथन सही है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के जे.के.पुरम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम पर पँहुचने का कथन भी सही है। आवेदक

...पेज चार पर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जे.के. पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्ड़ार, जे.के.पुरम से आनन्द ब्राण्ड चाय के पैकेट लिये थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की तथा प्रतिवादी संख्या-1 के खाली पेपरों पर हस्ताक्षर करवाकर चाय के पैकेट लेकर चले गये थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जो नमूना जांच हेतु भेजा है वह जांच में सभी मानकों के अनुरुप पाया गया है एवं जिसमें कोई मिलावट नही पाई गई है तथा उक्त खाद्य पदार्थ में आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करने जैसा कोई पदार्थ नही पाया गया है। केवल उक्त चाय के पैकिंग लेबल पर Best before: 1 Year from date of packing को अंग्रेजी भाषा के Capital Letters की जगह small latters में लिखा जाने के आधार पर जांच में मिथ्याछाप पाया है। प्रतिवादी निर्माता फर्म की उक्त तथ्य को small letters में लिखने में कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है, सिर्फ जानकारी के अभाव में small letters में लिखा गया है तथा अब इस गलती को भी सुधार दिया है। प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद निर्धारित एक वर्ष की सीमा के बाद प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.1.2015 को 3.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम में व्यवस्थापक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से गोविन्द सिंह पुरोहित पुत्र श्री गणपत सिंह पुरोहित, जाति- पुरोहित, निवासी- L&T-5, J.K.Puram, Laxmi Cement, J.K.Puam, Tehsil-Pindwara, Dist-Sirohi उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) का विक्रय करते है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के. पुरम के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मणराम, एन.एम.ए., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही व गवाह श्री रामेश्वरलाल चौधरी पुत्र श्री पृथ्वीराज चौधरी, उम्र 44 वर्ष, जाति- जाट, New C-53, स्टाफ कॉलोनी, जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड, जे.के. पुरम, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व व्यवंस्थापक गोविन्द सिंह पुरोहित को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के 50 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक पाउच 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के 4 पैक्ड पाउच क्रय किये एवं

....पेज पांच पर

मजि. विशेष अधिनियम
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

उसकी कीमत राशि रुपये 601/- (अक्षरे रुपये छः सौ एक मात्र) अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता व व्यवस्थापक गोविन्द सिंह पुरोहित एवं उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम के व्यवस्थापक एवं खाद्य कारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित से उक्त खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के सप्लाई बिल की जानकारी चाहने पर सुदर्शन टी एण्टरप्राईजेज, 31-ए, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर का बिल प्रस्तुत किया, जिसकी छाया प्रति न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-349, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के चारों खरीद शुदा पैक्ड नमूना पाउचों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-349 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित एवं उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म जे.के.पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम में व्यवस्थापक एवं खाद्य कारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित से खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 30.1.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच/विश्लेषण जमा

....पेज छः पर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
सिरोही-307001

करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 30.1.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-349 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./80/Act/2015/80 दिनांक 09.2.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म जे.के.पुरम प्राथमिक सहाकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम में व्यवस्थापक एवं खाद्यकारोबारकर्ता गोविन्द सिंह पुरोहित से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदाथ चाय (आनन्द ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 09.2.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के लेबल पर Best before: 1 Year from date of packing (Given in small latters). Contravention of Regulation No. 2.2.2(10) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 09.2.2015 के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर निर्माता/पैकर के FSSAI Lic. No. भी अंकित नही किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:एफएसएसए/एफ-110(ii)/2016/586 दिनांक 08.6.2016 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 77 के अर्न्तगत इस प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा को दिनांक 31.8.2016 तक विस्तारित किया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2016/32 दिनांक 26.6.2016 के द्वारा प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 24.6.2016 को प्रस्तुत किया गया है, जो विस्तारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि फर्म जे.के. पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैक्ड पाउचेज को प्रतिवादी संख्या- 2 से 4 की भागीदारी की फर्म Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर से बिल नम्बर 3312 दिनांक 13.12.2014 से क्रय किया गया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि

...पेज सात पर

सिरोही-307001

निर्माता/पैकर फर्म Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) का निर्माण/पैकिंग व विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) के निर्माण/पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर दोषी पाई जाती है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी फर्म जे.के. पुरम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जे.के.पुरम को दोष मुक्त किया जाकर सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत खाद्य पदार्थ चाय (आनन्द ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर (राज.) पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। निर्माता/पैकर फर्म Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) जमा कराने हेतु निर्माता/पैकर फर्म Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर के भागीदार (प्रतिवादी अभियुक्त संख्या- 2 से 4 क्रमश: श्रीमती नर्बदा देवी, श्रीमती सुमन शर्मा एवं श्री ईश्वर कुमावत) संयुक्त रुप से उत्तरदायी एवं बाध्य रहेंगे। निर्माता/पैकर फर्म Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर के भागीदार (प्रतिवादी संख्या- 2 से 4 क्रमश: श्रीमती नर्बदा देवी, श्रीमती सुमन शर्मा एवं श्री ईश्वर कुमावत) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता/पैकर फर्म Sudarshan Tea Enteprises, 31-A, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही